REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062024-254728 CG-DL-E-15062024-254728

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 2161]
 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 13, 2024/ज्येष्ठ 23, 1946

 No. 2161]
 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 13, 2024/JYAISHTHA 23, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2024

का.आ. 2265(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामत:-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	चैनेज/लंबाई किमी में (3)
रारा-353आई	सेलडोह (रारा-53 के साथ जंक्शन पर) से सिंदी रेलवे स्टेशन (सिंदी शुष्क पत्तन) के निकट आरओबी के पहुंचमार्ग के प्रारंभ तक खंड (महाराष्ट्र राज्य में)	किमी 39.200 से किमी 44.600

[फा. सं. एनएच-14013/2/2021-पी ऐंड एम-पार्ट(1)]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2024

S.O. 2265(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage/ length in km (3)
NH-353I	Seldoh (at junction with NH-53) to Start of approach road of ROB near Sindi Railway Station (Sindi Dry Port) section (In the state of Maharashtra)	Km. 39.200 to Km. 44.600

[F. No. NH-14013/2/2021-P&M-Part (1)]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2024

का.आ. 2266(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में एतदद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातु:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"14	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या रारा-48 [गुजरात सीमा से मुंबरा (पनवेल) और पुणे से कर्नाटक सीमा खंड को	महाराष्ट्र राज्य
	छोड़कर]; सं. 50 [किमी 12.190 से किमी 42.00 (नासिक फाटा- खेड़) तक को छोड़कर]; सं. 52	सरकार"
	[महाराष्ट्र / कर्नाटक सीमा- हत्तूर और सोलापुर - धुले- सोनगिर - नारदाना - शिवपुर - सांगवी –	
	महाराष्ट्र/ मध्य प्रदेश सीमा खंड को छोड़कर]; सं. 53 [गुजरात सीमा – वैरायटी स्क्वायर (नागपुर शहर)	
	और वाडी नाका (नागपुर शहर) से महाराष्ट्र / छत्तीसगढ़ सीमा को छोड़कर]; सं. 60 [धुले - नासिक और	
	सिन्नर - खेड़ खंड को छोड़कर], सं. 61 [मालशेज घाट - अहमदनगर बाइपास खंड के प्रारंभ किमी	
	101/000 से किमी 211/00 तक और खरवंडी कसार से रारा-211 (नया रारा-52) के साथ जंक्शन के	
	किमी 284/00 से किमी 337/00 तक को छोड़कर], सं. 63, सं. 65 [किमी 0/00 से किमी 8/800 तक	
	और किमी 14.000 से किमी 40.000 और किमी 40/0 - किमी 340/200 तक को छोड़कर], सं. 66	
	[पनवेल - इंदापुर खंड के किमी 0/00 से किमी 84/00 तक को छोड़कर]; सं. 160 [सिन्नर से अहमदनगर	
	और वासुंदे फाटा से बारामती और फल्टन से चिखोड़ी – रारा-48 के साथ जंक्शन तक को छोड़कर], सं.	
	247, सं. 266, सं. 465, सं. 543, सं. 561, सं. 647, सं. 652, सं. 753, सं. 761, सं. 848 [थाणे -	
	नासिक खंड को छोड़कर], सं. 930 [वारोरा - वानी खंड को छोड़कर], सं. 953, सं. 361एफ, सं. 130डी;	

3

सं. 150 विस्तार [शोलापुर - अक्कलकोट खंड को छोड़कर]; सं. 160ए [सिन्नर - घोटी खंड को छोड़कर], सं 160सी; सं 160एच; सं. 161ए; सं. 161ई; सं.161जी; सं. 161एच; सं. 166डी; सं. 166ई; सं. 166एफ; सं. 166जी; सं. 166एच; सं. 347ए [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत जाम से वारोरा खंड को छोड़कर]; सं. 353बी [तेलंगाना / महाराष्ट्र सीमा से राजुरा खंड के किमी 32/500 से किमी 89/329 तक खंड को छोड़कर]; सं. 353सी; सं. 353डी [नागपुर-उमरेद खंड को छोड़कर]; सं.353ई; सं. 353आई [सेलडोह (रारा-53 के साथ जंक्शन पर) से सिंदी रेलवे स्टेशन (सिंदी शुष्क पत्तन) के निकट आरओबी के पहुंचमार्ग के प्रारंभ तक के किमी 39.200 से किमी 44.600 तक खंड को छोड़कर]; सं. 353जे [नागपुर – कटोल खंड को छोड़कर]; सं. 353के; सं. 361बी; सं. 361सी; सं. 361एफ; सं. 361एच; सं. 461बी; सं. 547ई [गोंडखैरी- सावनेर खंड को छोड़कर]; सं. 548ए; सं. 548बी; सं. 548सी [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत तेंभुरनी-कुरुदवाडी-बारशी खंड को छोड़कर]; सं. 548सीसी; सं. 548डी [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत शिकरापुर- नावर खंड को छोड़कर]; सं. 548डीडी [कतराज- लोनीकांड को छोड़कर]; सं. 548ई; नई रारा संख्या 548एच, सं.561ए [किमी 0.000 से किमी 140.080 (डिजाइन चैनेज) (अहमदनगर – घोगरागांव - करमाला - तेंभुरनी खंड) तक को छोड़कर]; सं. 752ई [औरंगाबाद – बिदकिन – पैठान खंड को छोड़कर]; सं. 752जी [महाराष्ट राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत मनमाड – येवला -कोपरगांव खंड को छोड़कर]; सं. 752एच; सं. 752आई [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत कोपरगांव – औरंगाबाद खंड के किमी 0/00 से किमी 88/100 तथा औरंगाबाद, जालना, वातुर खंड को भी छोड़कर]; सं. 752के; सं. 753ए; सं. 753बी; सं. 753ई; **सं. 753एफ [महाराष्ट्र राज्य सरकार की** बीओटी परियोजना के तहत औरंगाबाद – नेवासा – घोड़ेगांव – अहमदनगर - शिरूर खंड को छोड़कर]; सं. 753एच; सं. 753जे [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत नंदगांव, हिसवाल से मनमाड खंड को छोड़कर]; सं. 753एल; सं. 753एम; सं. 848ए; सं. 930डी [रारा-353बी के साथ जंक्शन से महाराष्ट्र / तेलंगाना सीमा तक के किमी 19/0 से किमी 50/808 तक को छोड़कर और महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत वीसापुर, बल्लारपुर को बामनी खंड से जोड़ने वाले चंद्रपुर को भी छोड़कर]; सं. 965सी; सं. 965डीडी [लोनंद से वारंदा (पुणे / रायगढ़ जिला सीमा खंड) को छोड़कर]; सं. 965जी [पटास - वेलापुर खंड के किमी 0/00 से किमी 137/48 तक को छोड़कर] के उतने भाग जो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित हैं।

[फा. सं. एनएच-14013/2/2021-पी ऐंड एम-पार्ट(1)]

अभय जैन, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096(अ), दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 1335(अ), दिनांकित 11 मार्च, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2024

S.O. 2266(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"14	So much of National Highways No. NH-48 [excluding Gujarat border to Mumbra (Panvel) & Pune to Karnataka border section]; No. 50 [excluding from km 12.190 to km 42.00 (Nashik Phata-Khed section)]; No.52 [excluding Maharashtra /Karnataka border – Hattur and Solapur – Dhule- Songir – Nardana – Shivpur – Sangvi – MAH / MP border section]; No. 53 [excluding Gujarat border; Variety square (Nagpur city) & Wadi Naka (Nagpur city) to MAH/Chhattisgarh border]; No. 60 [excluding DhuleNashik & Sinnar - Khed section]; No. 61[excluding Malshej ghat – Start of Ahmednagar bypass section from Km. 101/000 to Km. 211/00 to km 337/00]; No. 65; No. 65 [excluding section from Km. 100/00 to Km. 284/00 to km 337/00]; No. 65; No. 56 [excluding section from Km. 100/00 to Km. 84/00]; No. 160 [excluding sinnar to Ahmednagar & from Vasuude phata to Baranti and from Phaltant to Chikhodi - junction with NH-48]; No. 247; No. 266; No. 465, No. 543, No. 561, No. 647, No. 652, No. 753, No. 761, No. 848 [excluding Thane - Nashik section]; No. 160C; No. 160H; No. 161A; No. 161B; No. 161G; No. 361F; No. 160D; No. 150 Ext [excluding Solapur – Akkalkot section]; No. 160A [excluding Sinnar – Ghoti section]; No. 166G; No. 160H; No. 161A; No. 161E; No. 161G; No. 161H; No. 166D; No. 166E; No. 166F; No. 166H; No. 1331 [excluding Telangana / Maharashtra border to Rajura section from km 32/500 to km 89/329]; No. 3532 [excluding NagpurUmred section]; No. 3533 [excluding Nagpur-Katol Settion]; No. 3531 [excluding NagpurUmred section]; No. 5331 [excluding NagpurUmred section]; No. 548A; No. 548B; No. 548C; No. 548D [excluding Shirapur- Nhavra section under BOT project of State Govt. of Maharashtra]; No. 548C; No. 548D [excluding Shirapur- Nhavra section under BOT project of State Govt. of Maharashtra]; No. 548C; No. 548D [excluding Shirapur- Nhavra section under BOT project of State Govt. of Maharashtra]; No. 548C; No. 548D [excluding Shirapur- Nhavra section under BOT project of State Govt. of Maharashtra]; No. 752E [excluding Nangaon – Kamagabad – Bidkin	(3) State Government of Maharashtra."

[F. No. NH-14013/2/2021-P&M-Part (1)]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Note : The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4thAugust, 2005 and was last amended vide number S.O. 1335 (E), dated the 11th March, 2024.